परियोजना का नाम:- बालीधाट धरमधर मोटर मार्ग के रवन्ते ली पुल से गुरगुच्या प्राइमरी पाठशाला तक मोटर मार्ग (3.00 कि.मी.)

# वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तहसील का नाम ढांगेश्वर , जिला जांगेश्वर

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बारोइवर के अन्तर्गत उपर्युन्त परियोजना के
उत्तराखण्ड म जनपद
निर्माण हेतु ( हे0 आरक्षित वनभूमि, 0.450 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.180 हे0
वन पंचायत भूमिहैं। अर्थात कुल 0.630 है। वनभूमि का नि रव ली नि वि
व्यायकोट विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु
आवेदन प्रस्तुत किया गया।
ज्या प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ड्राइकोट द्वारा दिनांक 15-4-15 को सम्पन्न ग्राम सभा
ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने
द्रेत विस्तत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में
आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा
स्पष्ट किया गया कि उक्त बनभूमि में किसी भी आदिवासी अथगा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत
अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
के नागान गाम अथा दारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम
ड्राइकोट (गुरु प्रच्या) के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि नि स्व लो हि वि क्याकोट प्रयोक्त एजेन्सी

को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपित नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

習0/-

ग्राम सचिव


कि का बारीप्रकृष (का ले प्राची

नोट:— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

#### प्रपत्र- 23

परियोजना का नाम: बालीधाट धरमधर मोटर मार्ग के खन्तोली पुल से गुरगुन्था पाइमरी पाठशाला तक मोटर मार्ग (3.0 km)

क्रमाक	ग्राम् सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	्र हस्ताक्षर
1.	स्वार्धि 0	युजायुवा ()
2.	स्वन्यन द्वारो	-c10501 ASI U
3 /	व्याहर व जूरी	9340 511
4.	करिश सिंह	#3291 PA
S.	ne a transmission of the second of the secon	
6.	1 - 115/8/21 - a	<del>Constandi</del>
7.	्व दिना काम्म देश	क्रमल इक्
8.	of cresundy, y	gatuy.
9.	MARING KIENICAI	342140 1818
10.	Matris and 80	1 1 1 11911
		and the second
		THE REPORT OF THE PERSON WHICH THE PERSON THE TREATMENT OF THE PERSON THE PERSON THE THE THE THE PERSON THE PE



#### 1777- 23.2

# परियोजना का नाम:- बालीछाट धरमधर मोटर मार्ग के खिलाली पुल से गुरगुच्था। पाइमरी पाठशाला तक मोटर मार्ग (3.0 km)

	कार्यालय	उप जिलाहि	देवारी	वाग्रेख	₹		
अनुसूचित	जनजाति औ	र प्रस्पासम्	<u>्र</u> ातासी	अधिनियम	************	के तहत	प्रमाण-पत्र
	उपखण्ड	इ स्तरीय ः	ें, व	12/201		•••••	
		The Property of States			- 6		11

अपर्यात परिपानना

(....हैं। आरक्षित वन भूमि, ०.450 है। हैं। है। हैं। एवं सोयन वनभूमि ०.180 है। वन पंचायत
भूमि, अर्थात कुल ०.630 है। वन भूमि वा निर्वाली विज्ञापि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में
हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और रान्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सिरित, (तहसील कार्यवाही का विवरणान

अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रसारास्त यन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (वार्काः विवास) की दिनांक 25-04-2015 को सम्पन्न बैठककी कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य क्रियंसी पन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड रहा कि दन अधिकार क्योंति की बैठक श्री प्रीचा राष्ट्र यादान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीयं क्यों कि कि कि कि कि आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री प्रिचा राभ चौरान उपजिला कार्रेडवर अध्यक्ष व 2- श्री सत्येन्द्र नाथ त्रिपाठी उप : कार्रेडारी वार्गेटवर् सदस्य

3- श्री ..............सदस्य / सचिव

4- श्री 3 मेश कालामाटी बीटि वि किश्वालामा भवस्य (झणकीट)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय प्रताति का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठककी कार्यवाही प्रारम्भ की पूर्व एक एक्ट्री को अबगत कराया गया कि

वागेश्वर

वालीघाट धरमधर भाटर मार्ग के खनोली पुल की गुरगुच्या पाइमरी

पाठशाला हतु कि कि कार्य परिशेष्णना हेतु 0.630 है। वन भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेनु एउताब माजनीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला क्रिक्त जड़ी है। उद्भा भूति का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपगोग होता उत्सर्वितन की चनुशंसा की गई है।

सर्वसम्मति उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु ..... हैं। वन भूमि क्याबेट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमूति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- बाराब्य जनपद विगर्भ प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- वाग्र्य जानपद छन्ग ३०(

परियोजना का नाम:— जिला योजना के अन्तर्गत बालीघाट—धरमघर मोटर मार्ग के खितोली पुल से गुरगुच्चा प्रा0 पाठशाला तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराख़ण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

#### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत बालीघाट—धरमघर मोटर मार्ग के खितोली पुल से गुरगुच्चा प्रा0 पाठशाला तक (3.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 0.630 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण—पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी जिलाधिकारी बागेश्वर परियोजना का नामः— जिला योजना के अन्तर्गत बालीघाट—धरमघर मोटर मार्ग के खितोली पुल से गुरगुच्चा प्रा0 पाठशाला तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत बालीघाट—घरमघर मोटर मार्ग के खितोली पुल से गुरगुच्चा प्रा0 पाठशाला तक (3.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 0.630 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11—9/98—एफ0सी0 दिनांक 05—02—2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ0सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिलाधिकारी बागेश्वर

1.60+1

#### Form-II

(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

		Dated 14)05/2015
NO		Dated

#### To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5<sup>th</sup> feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.100 heetares of forest and proposed to be diverted in favour of Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Bageshwar-Balighat-Dharamghar Motor road to Khantola(Khitoli) Bridge to Gurgucha Basic School Motor road (Length 3.00) in Bageshwer.

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.630 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.......to annexure......
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language ) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of **Gurgucha** Village (s) is enclosed as annexure.......
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

Encl: As above

Bhupal Singh Manral
District Collector
Bageshwar

# Form-1 (for liner project) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Bageshwer

	fol the alt
<i>N0</i>	Dated 15/2015
140	

# To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5<sup>th</sup> feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.630** heetares of forest and proposed to be diverted in favour of Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Bageshwar-Balighat-Dharamghar Motor road to Khantola(Khitoli) Bridge to Gurgucha Basic School Motor road (Length 3.00) in Bageshwer district falls within It is further certified that:-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.630 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annuxer.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have givin their consent ti it;......Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No onjection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Signature

Dated

(Bhupal Singh Manral)
District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector

# Office of the Deputy Commissioner District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 19-25-205...at time 3:59. pm at Bageshwar in which application claiming rights in Gurgucha area measuring 0.630 hect for the Construction of Construction of Bageshwar-Balighat-Dharamghar Motor road to Khantola(Khitoli) Bridge to Gurgucha Basic School Motor road (Length 3.00) in Distt-Bageshwer of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated:

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe